<table>
<tr><td>तारीख हुक्म</td><td>राजूराम विश्नोई बनाम लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार, लूणी)
सू.अ.अपील संख्या 241/2022</td><td>न. व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए</td></tr>
<tr><td>16.08.22</td><td>अपीलार्थी राजूराम विश्नोई निवासी 564, मंगल नगर, गुड़ा विश्नोइयान, प.स. लूणी, जिला जोधपुर ने सूचना का अधिकार के तहत उसके द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 02.05.2022 में उसके द्वारा तहसीलदार लूणी के द्वारा श्रीमति अमरी जोजे सांगीदास का राजस्व ग्राम पाबुपुरा कुम्हारान के खसरा संख्या 80/1 में गैर खातेदारी से खातेदारी देने संबंधी आदेश एवं नामान्तरण की प्रमाणित प्रति से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार, लूणी) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो. पक्ष (तहसीलदार, लूणी) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पो. पक्ष (तहसीलदार, लूणी) से आदिनांक तक तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई। अतः अपील स्वीकार की जाती है तथा लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार, लूणी) को निर्देशित किया जाता है कि प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना 15 दिवस के भीतर उपलब्ध करावे, अन्यथा नहीं दिये जाने के कारणों से प्रार्थी को अवगत कराया जावे। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।</td><td></td></tr>
</table>